01/02/2018

प्रतिलाग उपरा

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 23/1/18 के क्रम पत्रावली सम्मुख पेश हुई। आज्ञादारी स्वयं उपस्थित वकील अभ्यर्थी ने निवेदन किया कि सभी पक्षकारान अपने-अपने हिस्से पर काबिज है। छोटूराम पुत्र धानीराम ने अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया है। पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का विवाद नहीं है। अतः दस्तावेज निष्पादन स्वीकार की जावे।

प्रार्थी को सुना गया। वकील अभ्यर्थी की जाब्ता पेश की गई रेकर्ड का अवलोकन किया। तर्कों पर मनन करते तथा रेकर्ड के अवलोकनोपरान्त प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण स्वीकार किया जाता है। दस्तावेज निष्पादन 12/5/2017 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली लैकाड कुमार लोढ़ा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner